

य उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
179/2012	88,53,188, RTA	बिशनखेडा चैना	छबड़ा
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
रुपाबाई		बनाम	कमलीबाई वगै०

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

18-10-12 अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188,, RTA, विरुद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में पेश किया गया, रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे, अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 26.11.2012 को पेश हो।

26-11-12 पत्रावली पेश हुई वकील कारी उक्त जहाँ-जहाँ की कोर्ट है श्री कान्ति प्रसाद रामकरण आर्मा एड का कनासतकमा पेश हुआ जहाँ-जहाँ है। रा 3,5 नग की कोर्ट है श्री रामकरण आर्मा द्वारा अन्तः देशिक रिफा। पत्रावली जारी कनासतकमा। जवाब दिनांक 15-1-13 को पेश हो।

15-1-13 पत्रावली पेश हुई कलुषाद फरीकोट उक्त फरि डारोके पेश हुआ। कनासतकमा। जवाब हो राम आर्मा है श्री पत्रावली जारी जवाब दिनांक 27-2-13 को पेश हो।

27-2-13 पत्रावली पेश हुई कलुषाद फरीकोट उक्त जवाब पेश नहीं हुआ राम आर्मा है श्री पत्रावली जारी जवाब दिनांक 2-4-13 तक को पेश हो।

2-4-13 पत्रावली पेश हुई कलुषाद फरीकोट उक्त वकील कारी द्वारा फरि डारोके पेश किया। जहाँ-जहाँ की कोर्ट है श्री कान्ति प्रसाद किं एड का कनासतकमा पेश हुआ पत्रावली जारी जवाब दिनांक 7-5-2013 को पेश हो।

पञ्जावली MRC केसों के बाद सर्वव्यवस्थापक के आज
 पेश हुई। क्वील पार्थी उपस्थित। एक सचिव लीन
 वर आज पुकारवाई गई। कोई उपस्थित नहीं।
 प्रकरण अदर धजिरी अदर परकी खारिज किया
 गया है। पञ्जावली फैसला शुक्र होकर सचिव दफ्तर
 है। 12